रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 315] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 1997/श्रावण 14, 1919
No. 315] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 1997/SRAVANA 14, 1919

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997

सा. का. नि. 451 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 4-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1278, तारीख 27 अक्तूबर, 1960 और सा.का.नि. 850(अ), तारीख 10 मई, 1963 को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले बिजोनबाड़ी, मिरीक, कुर्सिओंग, तकदाह, कालिमपांग, अलागरा और सुखियापोकरी खंडों के क्षेत्रों से और के बाहर उस राज्य के किसी अन्य भाग या किसी अन्य राज्य या भारत में किसी अन्य स्थान से आलू के ट्यूबरों का परिवहन या निर्यात, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इसके द्वारा प्रतिषिद्ध करती है।

[सं. 8-17/93-पी पी 1]
अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1997

G. S. R. 451 (E):— In exercise of the powers conferred by Section 4 -A of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) number G.S.R. 1278, dated the 27th October, 1960 and G.S.R. 850 (E), dated the 10th May, 1963 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby prohibits with effect from the date of publication of this notification, the transport or export of potato tubers from and out of the areas of Bijonbari, Mirik, Kurseong, Takdah, Kalimpong, Alagara and Sukhiapokri blocks in the Darjeeling District of the State of West Bengal to any other part of that State or any other State or any other place in India.

[No. 8-17/93-P P. 1]
ANIL SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997